राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुर्नगठित (Restructured) कर इसका नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission-NULM) दिया गया है, जिसमें मुख्य बिन्दु/बाते निम्नानुसार है :–

- एनयूएलएम में भी एसजेएसआरवाई की तरह केन्द्र व राज्य का अंश क्रमशः 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत है।
- राज्य में एनयूएलएम का क्रियान्वयन प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों (किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिण्डोनसिटी, गंगापुरसिटी, सुजानगढ़ व मकराना) सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जायेगा।
- एनयूएलएम में भी SJSRY की भांति सिर्फ बीपीएल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है, लेकिन एनयूएलएम में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 05.12.2014 द्वारा बीपीएल सूची के अलावा स्टेट बीपीएल सूची व अन्त्योदय सूची में सम्मिलित परिवार तथा ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 1 लाख तक है, उन्हे भी एनयूएलएम कें अन्तर्गत लाभान्वित करने के निर्देश जारी किये है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में अर्थात दिनांक 31.03.2014 को एसजेएसआरवाई/एनयूएलएम अन्तर्गत राज्य में रू. 2331.11 लाख केन्द्रीय अंश व रू. 777.04 लाख राज्यांश अर्थात कुल रू. 3108.15 लाख अवशेष थे, जिसका उपयोग अब एनयुएलएम में चयनित 40 नगर निकायों में NULM में किया जायेगा। भारत सरकार से एनयूएलएम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को 6532.12 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

एनयूएलएम के घटकों का संक्षिप्त विवरण व उनके क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :–

1- Capacity Building and Training (CB&T) :-

- राज्य स्तर पर NULM के क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद् (Governing Council) व प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.

शा. वि. की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) तथा प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया जा चुका है।

- इसके साथ ही NULM के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर State Urban Development Agency - SUDA को State Urban Livelihoods Mission - SULM बनाया जा चुका है, जो राज्य मिशन निदेशक (State Mission Director -SMD) के अधीन कार्य कर रहा है।
- निदेशालय के परियोजना प्रकोष्ठ को अब एनयुएलएम के लिए State Mission Management Unit - SMMन बनाया गया है। इसी प्रकार एनयूएलएम के क्रियान्वयन के लिए नगर निकाय स्तर पर City Mission Management Unit-CMMU के गठन के निर्देश जारी किये जा चुके है तथा नगर निकायों में CMMU का गठन किया जा चुका है, जो नगर निकाय द्वारा नियुक्त शहर परियोजना अधिकारी (City Project Officer-CPO) के अधीन कार्य कर रहा है।
- SMMU में 6 तकनीकी विशेषज्ञों तथा नगर निकायों के CMMU में 2 से 4 (आबादी अनुसार) तकनीकी विशेषज्ञों व नगर निकाय स्तर पर प्रति 3000 बीपीएल परिवारों पर एक सामुदायिक संगठक (Community organizer - CO) की सेवाऐं लेने के सम्बंध में राज्य स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके इसी माह तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इन सभी का भुगतान एनयुएलएम की राशि से किया जायेगा।
- **क्षमता निर्माण (Capacity Building)** :– SMMU व CMMU के अधिकारियों व कार्मिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, सामुदायिक संगठकों (COs) व Resource Organisations को 2 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी औसत व्यय रू. 7500/– तक किया जा सकता है, जिसके लिए प्रशिक्षण संस्था का चयन राज्य स्तर से (तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति व ROs के चयन उपरान्त) किया जायेगा।

2- <u>Social Mobilisation and Institution Developmenta (SM & ID)</u> :-

- NULM में स्वंय सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) तथा उनके संगठन पर बल दिया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक शहरी गरीब परिवार का न्यूनतम एक सदस्य (जिसमें महिला को प्राथमिकता दी जाये) आवश्यक रूप से SHG का सदस्य बनाया जायेगा। स्वयं सहायता समूह में 10–20 सदस्य (पुरूष या महिला) एक ग्रुप के रूप में एक साथ अपनी छोटी–छोटी बचत को इकट्ठा कर आपस में लेनदेन करते है तथा ग्रुप के सदस्य अपनी नियमित बैठके करते है। NULM के अन्तर्गत शहरी बीपीएल परिवारों के SHG बनाये जाने है। विशेष

परिस्थितियों में गैर बीपीएल को भी सदस्य बनाया जा सकता है, फिर भी न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य शहरी बीपीएल परिवार से होने अनिवार्य है।

- बस्ती/वार्ड स्तर पर 10–20 SHGs मिलकर अपना एक संगठन बनायेंगे, जिसे Area Level Federation-ALF कहा जायेगा तथा सभी ALFs मिलकर शहर स्तर पर City Level Federation-CLF का गठन करेंगे, बड़े शहरों में एक से अधिक CLFs भी गठित किये जा सकते है। प्रत्येक SHG से नामित दो सदस्य ALF के सदस्य होगे तथा प्रत्येक ALF का एक नामित सदस्य CLF का सदस्य होगा। ALF तथा CLF का पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- SJSRY के UCDN घटक के तहत गठित SHGs व Thrift and credit Societies यथावत NULM में भी कार्य करते रहेगें तथा SJSRY में गठित NHG, NHC & CDS को भी क्रमशः SHG, ALF & CLF में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **ROs का चयन** – SHG, ALF & CLF आदि के गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज तथा इससे सम्बंधित अन्य समस्त गतिविधियों के लिए Resource Organisations-ROs का सहयोग लिया जा सकता है, जिसके लिए ROs को प्रति SHG अधिकतम रू. 10,000 तक का भुगतान एनयूएलएम की राशि से सम्बंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा। RO के चयन के लिए Expression of Intrest (EoI) जारी की गई थी जिनके आधार पर अब तक 26 नगर निकायों में 83 ROs का चयन किया जा चुका है।
- **रिवोलविंग फण्ड** – SHG द्वारा न्यूनतम 6 माह तक कार्य करने पर उसे सहयोग हेतु एनयूएलएम की राशि में से रू. 10,000 प्रति SHG रिवॉलविंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे इसके लिए SHG के सदस्यों में न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य बीपीएल चयनित होने अनिवार्य है। SJSRY के तहत गठित SHG जिन्होनें पहले रिवोल्विंग फण्ड नही लिया है, उन्हे भी यह रिवोल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। रजिस्ट्रर्ड प्रत्येक ALF को सहयोग हेतु रू. 50,000 रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।
- **Universal Financial Inclusion (UFI)** – NULM का उदेश्य सभी शहरी बीपीएल परिवारों का बैकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय मामलों में समावेश करना भी है। इसके लिए नगर निकायों द्वारा सभी शहरी बीपीएल परिवारों को वित्तीय साक्षरता (Financial literacy) के तहत व्यक्ति को बचत करना, ऋण प्राप्त करना, राशि हस्तांतरण व बीमा आदि करने की जानकारी देना सम्मिलित है। इसके लिए बैंको के माध्यम से नगर निकायों द्वारा Financial Literary Camps का आयोजन किया जाना है।
- **शहरी आजीविका केन्द्र (CIty Livelihood Centre - CLCS)** – NULM के तहत प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केन्द्र (City Livelihoods Center-

CLC) स्थापित किया जायेगा, जहां शहरी गरीबों द्वारा अपनी सेवायें तथा उत्पादन बेचने व बैकिंग तथा प्रशिक्षण आदि से सम्बंधित अन्य कार्यवाहियां सम्पादित होंगी। नगर निकायों में CLCs की स्थापना शहर की जनसंख्या अनुसार निम्नानुसार की जा सकेंगी :–

1. जनसंख्या 3 लाख तक CLC की संख्या – 1
2. जनसंख्या 3 लाख से 5 लाख तक CLC की संख्या – 2
3. जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख तक CLC की संख्या – 3
4. जनसंख्या 10 लाख से अधिक CLC की संख्या – अधिकतम 8

एक CLC की स्थापना हेतु NULM के तहत तीन किस्तो में राशि 10.00 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी, जो भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण व रिनोवेशन में उपयोग नही की जा सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष के नगर निकायवार लक्ष्य आवंटित किये जा चुके है। इनके प्रस्ताव नगर निकायों द्वारा निदेशालय को भिजवाने है, जिनकी स्वीकृति निदेशालय से जारी की जायेगी।

नगर निगम, जयपुर में एक शहरी आजीविका केन्द्र प्रारम्भ हो चुका है तथा अन्य शहरों में प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3- **<u>Employment through Skill Training and Placement (EST&P) :-</u>** NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण तथा लाभकारी रोजगार में प्लेसमेन्ट कराने का प्रावधान है, जिसमें प्रशिक्षण हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही है। योजनान्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम रू. 15,000 व्यय करने का प्रावधान है। इस भुगतान का एक अंश (20 प्रतिशत) लाभार्थी के स्वरोजगार/प्लेसमेन्ट की गुणवत्ता 6 माह तक देखने से जोड़ा जायेगा। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट/स्वरोजागर हेतु उद्यम स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

इस घटक का क्रियान्वयन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से कराने हेतु आरएसएलडीसी से दिनांक 10.12.2014 को अनुबंध किया जा चुका है। अब तक प्रशिक्षण हेतु कुल 1452 आवेदन पत्र तैयार किये जा चुके है।

4- **<u>Self-Employment Programme (SEP) :-</u>** NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिससे बीपीएल चयनित परिवार के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार/उद्यम स्थापित किये जा सकें। इस घटक के तहत

बीपीएल चयनित परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए मुख्य रूप से निम्न नियम/शर्ते है :—

- लाभार्थी की आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- ऋण हेतु किसी प्रकार की बैंक गारण्टी/जमानत (Collateral Security) की आवश्यकता नही है।

इस घटक के तहत व्यक्तिगत व समूह में लाभार्थियों को निम्न सुविधाऐं/लाभ उपलब्ध कराये जाने है :—

I. **<u>व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान</u>** — इसके तहत् शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत रूपये 2.00 लाख के लिए बैंक ऋण दिया जायेगा तथा इस ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में एनयूएलएम से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थी को ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा।

II. **<u>समूह द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान</u>** - इसके तहत् SJSRY या NULM के तहत् गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) या शहरी गरीबों के न्यूनतम 5 सदस्यों के एक ग्रुप (जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शहरी गरीब अनिवार्य है) को स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में NULM से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थियों को ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा।

III. **<u>उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> -** शहरी गरीबों द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही 3 से 7 दिन की उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP Training) दिया जाना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में उद्यम स्थापित/विकसित करने से संबंधित मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी जैसे — उद्यम का प्रबंधन, बेसिक अकाउटिंग, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, बैकवार्ड व फोरवार्ड लिंकेजेज, कानूनी प्रक्रिया, लागत—आय, समूह गतिविधियां, कार्य का वितरण व लाभांश का बंटवारा आदि। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंको द्वारा ऋण भुगतान से पूर्व RSETI के माध्यम से कराया जाना है, इसके लिए SLBC को निवेदन किया जा चुका है तथा इस पर होने वाला व्यय नगर निकाय द्वारा एनयुएलएम से किया जायेगा।

IV. **स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान** (SHG-Bank Linkage)- इस घटक के तहत् बैको द्वारा SHG के बचत खाते खोलना और उसके बाद SHG के असैसमेंट/ग्रेडिंग के उपरान्त उसकी बचत के 4 गुना तक Savings Linked Loan उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण पर भी नियमानुसार ब्याज पर अनुदान देय होगा तथा महिलाओं के समूहों को इस ऋण पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान देय होगा अर्थात महिलाओं के समूहो को यह ऋण 4 (7–3) प्रतिशत ब्याज पर देय होगा।

V. **उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड** - उद्यम संचालन हेतु प्रतिदिन नकद राशि (Working Capital) की आवश्यकता होती है इसके लिए बैंक द्वारा उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। एनयूएलएम के तहत् SEP में ऋण लेने वाले एवं अन्य उद्यमियों को बैंक से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

इस घटक के तहत समस्त कार्यवाही नगर निकाय द्वारा ही की जानी है, जो निम्नानुसार है :–

- **आवेदन प्रकिया** :– व्यक्तिगत व ग्रुप में सभी प्रकार के ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र सम्बंधित नगर निकाय द्वारा ही बैंको को भिजवाये (Sponsored) जायेंगे। कोई भी पात्र व्यक्ति जो स्वंय का उद्यम स्थापित करना चाहता है, एक सादा कागज पर अपना प्रार्थना पत्र सम्बंधित नगर निकाय में प्रस्तुत कर सकता है/डाक से भिजवा सकता है। नगर निकाय को इस प्रकार के आवेदन–पत्र हमेशा (सम्पूर्ण वर्ष) स्वीकार करने होंगे तथा उनको इन्द्राज कर प्राथमिकता सूची भी बनाई जायेगी। दोनो प्रकार के ऋण हेतु आवेदनों के प्रारूप SLBC से अनुमोदन उपरान्त नगर निकायों को उपलब्ध कराये जा चुके है।

  नगर निकायों द्वारा अब तक व्यक्तिगत ऋण हेतु कुल 3893 आवेदन पत्र तैयार किये गये है तथा 1069 आवेदन पत्र बैंको को भिजवाये गये है। बैंको से 9 आवेदन पत्र स्वीकृत कर अभी तक मात्र 1 आवेदक को रू. 1.50 लाख का ऋण वितरण किया है। इसके साथ ही नगर निकायों द्वारा ग्रुप ऋण के भी 14 आवेदन पत्र तैयार किये गये है जो बैंको को भिजवाये जा रहे है।

- **टास्क फोर्स का गठन** :– नगर निकाय में व्यक्तिगत व ग्रुप में ऋण हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करने/अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर निकाय स्तर पर नगर निकायों द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर निकाय या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की

अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसका प्रावधान योजना की गाईड लाईन में दिया गया है। नगर निकाय द्वारा समस्त ऋण आवेदन–पत्रों को टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत करना होगा। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्रों का परीक्षण (Scrutiny) किया जायेगा तथा लाभार्थी को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जा सकेगा। इसके बाद टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्र को अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकार या निरस्त किया जा सकता है या अतिरिक्त सूचना मांग कर आगामी बैठक में पुर्नविचार हेतु लम्बित रखा जा सकता है। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्र को बैंक को भिजवाने की सिफारिश पर नगर निकाय द्वारा आवेदन–पत्र बैंको को भिजवा दिया जायेगा, जिसका बैंक द्वारा 15 दिवस में निस्तारण करना आवश्यक होगा तथा ऐसे आवेदन–पत्रों को विशेष परिस्थितियों में ही अस्वीकृत किया जा सकेगा।

- <u>ब्याज अनुदान की प्रकिया</u> :– सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पात्र है। लाभार्थियों को ऋण का भुगतान करने के उपरान्त सभी बैंक ऋण भुगतान व ब्याज अनुदान का पूर्ण विवरण सम्बंधित नगर निकाय को भिजवायेंगे। ब्याज अनुदान सम्बंधी क्लेम्स बैंको द्वारा नगर निकायों को हर माह भिजवाये जायेगें तथा नगर निकायों द्वारा इनका त्रैमासिक आधार पर समायोजन/भुगतान किया जायेगा। ब्याज अनुदान से सम्बंधित क्लैम्स के भुगतान एक तिमाही से अधिक समय तक नगर निकाय में लम्बित नही रहने चाहिए।

5- **<u>Support to Urban Street Vendors (SUSV) :-</u>** इस घटक के तहत स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे एवं क्षमतावर्द्वन, माईक्रोएन्टरप्राईजेज के विकास में सहयोग, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा अन्य कार्य सम्मिलित है। इसके तहत समयबद्व कार्यक्रमानुसार स्ट्रीट वेण्डर्स का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना, उन्हे पंजीकृत करना तथा उन्हे पहचान पत्र जारी करना आदि सम्मिलित है। यह कार्य संस्थाओं से कराया जायेगा। इसके लिए संस्थाओं के चयन हेतु Expration of Intrest (EoI) जारी की जा चुकी है।

6- **<u>Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) :-</u>** NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों में सबसे गरीब को आश्रय स्थल तथा उससे सम्बंधित अन्य सुविधाए उपलब्ध कराना है। यह आश्रय स्थल हमेशा अर्थात 24 घण्टे सभी 7 दिवस संचालित होगा। प्रति 1 लाख की आबादी पर स्थाई सामुदायिक आश्रय स्थल जो न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए हो संचालित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट अर्थात 4.645 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाना

अनिवार्य है। इस आश्रय स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाए जैसे पानी, शौचालय, बिजली, रसोई आदि उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। साथ ही इस आश्रय स्थल में रहने वालों को सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आंगनवाड़ी, वित्तीय समावेशन, शिक्षा व पहचान पत्र आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप एनयुएलएम से राशि उपलबध कराई जायेगी। इन आश्रय स्थलों का संचालन एनयुएलएम के तहत प्राप्त राशि से 5 वर्ष तक किया जायेगा, जिसके लिए 50 व्यक्तियों के आश्रय स्थल हेतु प्रतिवर्ष रू. 6 लाख उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके तहत अब तक 16 नगर निकायों के 35 शैल्टर्स की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा रही है।

7- **Inovative and Special Projects :-** NULM के इस घटक पर कुल आवंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जा सकती है, जो केन्द्रीय अंश से ही व्यय की जायेगी, इसके लिए राज्यांश की आवश्यकता नही है। स्पेशल प्रोजेक्ट उपरोक्त किसी भी घटक से सम्बंधित हो सकते है। इस घटक के तहत Public Private Community Partnership - PPCP मोड को प्राथमिकता दी जायेगी, अर्थात इस प्रकार के प्राजेक्ट NGOs, CBOs, Semi-Govt. Organisations, Private Sector, Individual Association, Govt. Deptt./Agencies, ULBs, Recource Centres, International Organisations etc. द्वारा हाथ में लिये जा सकते है। इस तरह के प्रस्ताव किसी वर्ग/क्षेत्र/गतिविधि विशेष से सम्बंधित तथा निर्धारित समय अवधि (Time Bound) के होने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव सम्बंधित एजेन्सी द्वारा राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करते हुए एक अग्रिम प्राप्ति भारत सरकार को भिजवाई जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने पर अपनी Recommondation सहित भारत सरकार को भिजवाया जायेगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को Project Approval Committee को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें इसकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक Format निर्धारित किया हुआ है, उसी Format में प्रस्ताव तैयार किया जाना है।